

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

सेवा पर्व परखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- मगवतगढ़

प्रकरण संख्या:- २२४/२५

दिनांक:- ३/१०/२५

उनवान

श्री वसंत पुत्री
खिलास मीरा

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ सलाना दरसामद, पटवारी हल्का मगवतगढ़ B भू. अ. नि. मगवतगढ़ एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम मगवतगढ़ प 0 ह 0 मगवतगढ़ B की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 632 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

| क्र. सं. | अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि) | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है। |
|----------|--|--------------------------------------|---|
| | <u>वसंत के नाम पर अशुद्ध</u> | <u>वसंत के नाम पर अशुद्ध</u> | <u>वसंत के नाम पर अशुद्ध</u> |

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

